न्यायालय, भूमि सुधार उप– समाहर्त्ता, बसिया (गुमला)।

एस0 ए0 आर0 वाद सं0 03/2018–19

71(A) सी0एन0टी0 एक्ट

अनुसूची – 14 फर्म सं0 563

प्रथम पक्ष – सुशील उरॉव .... अपीलार्थी

बनाम

द्वितीय पक्ष – अनील भगत .... उत्तरवादी

आदेश की क0सं0 एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3
1 19.4.22		

प्रस्तुत वाद अपीलार्थी सुनील उरॉव, पिता – एतवा उरॉव, ग्राम पालकोट थाना – पालकोट, जिला –गुमला द्वारा एस0 ए0 आर0 वाद दायर किया गया है जिसमें अपीलार्थी मौजा पालकोट के थाना सं0 63 खाता सं0 719 प्लॉट सं0 1601 रकबा 1.24 एकड़ भूमि में से 0.15 एकड़ भूमि के खतियानी रैयत है, उक्त भूमि में उत्तरवादी अनील भगत, पिता स्व0 जगदेव भगत, ग्राम पालकोट, थाना पालकोट, जिला गुमला के द्वारा छल प्रपंच कर दूसरे जगह जमीन देंगे कहकर अवैध रूप से कब्जा किया गया है। दूसरे स्थान में अब तक जमीन नही देने एवं अवैध रूप से अपीलार्थी के जमीन को खाली छोड़ने के कारण अपीलार्थी विवश होकर एस0 ए0 आर0 आवेदन दाखिल किया गया।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता बसिया, (गुमला)

वादगत् भूमि का विवरण

मौजा/थाना नं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा
पालकोट / 63	719	1601	1.24 एकड़ में से 0.15 एकड़ भूमि
			कुल रकबा 0.15 (पंद्रह डिसमील)

अपीलार्थी के आवेदित भूमि के दस्तावेजो का अवलोकन किया जिसमें अपीलार्थी के द्वारा उक्त वाद्गत भूमि से संबंधित खतियान, लगान रसिद एवं सत्यापित वंशावली की छाया प्रति संलग्न किया गया है।

अपीलार्थी की ओर :–

अपीलार्थी की ओर से अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हुए है जिसमें लिखित जवाब दाखिल किया गया है कि उक्त वाद मौजा पालकोट थाना सं0 63 खाता सं0 719 आर0 एस0 खतियान नन्हू उरॉव वल्द गंदुरा उरॉव के नाम से कुल

रकबा 2.43 एकड़ दर्ज है। मौज पालकोट अंदर आर0एस0 खाता सं0 719 का सरकारी माल गुजारी रसीद नान्हू उरॉव, पिता गंदुरा उरॉव के नाम से कटजा हैं। खाता सं0 719 के खतियानी रैयत का वंशावली निम्न प्रकार है।

गंदुरा उरॉव

↓

घांसी उरॉव — डुका उरॉव — बिरसा उरॉव

डुका उरॉव

↓

एतवा उरॉव

↓

सुशील उरॉव (मिंज)
(आवेदक)

आवेदक ने मौजा पालकोट थाना पालकोट के अंदर खाता सं0 719 प्लॉट सं0 1601 जमीन का नापी हेतु अंचल अधिकारी पालकोट को आवेदन दिया था जिसका सीमांकन वाद सं0 17/2019 ज्ञापांक 122(ii) दिनांक 27/02/2018 को जमीन नापी हेतु सरकारी अमीन पालकोट अंचल से भेजा गया। सरकारी अमीन का जमीन मापी रिपोर्ट में आया हैं कि अनिल मुखिया (विपक्षी) का पॉच डिसमील के जगह पर 0.14 डिसमील में मकान है और नौ डिसमील पर अधिक दखल कब्जा किए है।

आवेदक सुशील मिंज ने जमीन वापसी हेतु एस0ए0आर0 का केस विपक्षी अनिल भगत पर न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता गुमला में किया जिसमें न्यायालय द्वारा पालकोट अंचल से जॉच प्रतिवेदन मांग किया गया। अंचल पालकोट से जॉच प्रतिवेदन आने पर एस0ए0आर0 केस सं0 3/2018 दर्ज कर विपक्षी को नोटिस निर्गत किया गया।

अंचल पालकोट से जॉच प्रतिवेदन आया है उसमें आवेदक के पक्ष में है। एस0 ए0 आर0 का केस खतियानी रैयत ही कर सकता हैं। आवेदक खतियानी रैयत के वंशज है। एस0ए0आर0 का केस जमीन वापसी हेतु किया गया हैं जो सही है। अतः अनुरोध है कि आवेदक का आवेदन को मंजूर करते हुए विपक्षी से जमीन वापस कराने का कृपा किया जाय।

आवेदन के द्वारा दाखिल कागजातः—

(1) खाता सं0 719 का फोटो कॉपी।
(2) मालगुजारी रसीद।
(3) अंचल का सीमांकण प्रतिवेदन।
(4) नक्सा सीमाकंन का प्रति।

उत्तरवादी की ओर :—

उक्त वाद मौजा पालकोट के थाना सं0 63 खाता सं0 719 प्लॉट सं0 1601 रकबा 1.24 एकड़ में से 0.15 एकड़ भूमि का बहाल करने के लिए यह मुकदमा दायर किया गया है। अपीलार्थी द्वारा विवादित भूमि की सीमा का उल्लेख नहीं किया है। अंचल जॉच प्रतिवेदन में उस याचिका के बारे में स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है जिसमें उत्तरवादी द्वारा कब्जा कर लिया गया है। क्योंकि इस प्लॉट के साथ सड़क गुजरा है एवं जुड़ा हुआ है। जिसमें सड़क के लिए भूमि के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता बसिया, (गुमला)

अपीलार्थी विवादित भूमि का मालिक नहीं है, नन्हू उरॉव के नाम पर Record fo Right तैयार किया गया है। Recorded tenant नन्हू उरॉव के तीन बेटे थे (1) चासी उरॉव (2) दुका उरॉव (3) बिरसा उरॉव उनमें से बिरसा उरॉव की मृत्यु निःसंदेह हुई। दुका उरॉव के दो बेटे थे (1) एतवा उरॉव (2) बिरसु उरॉव एतवा उरॉव के चार बेटे है। (1) सुशील उरॉव (अपीलार्थी) (2) मिसाइल उरॉव (3) अजीत उरॉव (4) दारजीत उरॉव।
घांसी उरॉव अपने पीछे अपने तीन पुत्रों को छोड़कर कर मर गया (1) घोयो उरॉव (2) तुलसी उरॉव (3) बिरसा उरॉव। इनमें तुलसी उरॉव और बिरसा उरॉव का मृत्यु हो गई। अपनी आजीविका के लिए बंगाल में रहने वाले घोयो उरॉव और पूरी भूमि को दो पक्षों के बीच विभाजित किया गया है। याचिकाकर्त्ता सुशील उरॉव के कब्जे में है और आधा भाग घोयो उरॉव के कब्जे में है जो बंगाल में रह रहे है और बीच बीच में आते थे और उत्तरवादी (अनिल भगत) के घर में रह रहा था और अब घोयो उरॉव ने अपनी अधवटाईकी के माध्यम से खाता सं0 719, प्लॉट सं0 1601 और अनुमति के लिए आवेदन किया है। विपक्ष के पक्ष में जमीन भेंट किया। इसलिए यह एस0ए0आर0 याचिका का कोई मतलब नहीं है।

दर्ज किरायेदार के वारिसों की एक वंशावली

नान्हु उरॉव

घांसी उरॉव — दुका उरॉव — बिरसा उरॉव

घोयो उरॉव — तुलसी उरॉव — बिरसा उरॉव — एतवा उरॉव — बिरसु उरॉव

शुसील उरॉव (अपीलार्थी) — मिसाईल उरॉव — अजीत उरॉव — दारजीत उरॉव

याचिकाकर्त्ता स्वंय अस्पष्ट है। क्योंकि घोयो उरॉव पुत्र पिता स्व0 घांसी उरॉव ने अनुमति वाद लेकर वाद सं0 17/2005–06 की अनुमति के वाद 14/12/2005 को बिक्री विलेख निष्पादित किया और अनिल भगत ने अपने परिवार के साथ घर और रहने का निर्माण किया है। याचिकाकर्त्ता को पूरे भूमि में वाद दायर किया जाना उचित प्रतित नहीं होता है।

उत्तरवादी के द्वारा दाखिल कागजातः–

अंचल अधिकारी, पालकोट का जॉच प्रतिवेदनः–

अंचल अधिकारी, पालकोट के पत्रांक 259/रा0 दिनांक 09/05/2018 के द्वारा जॉच प्रतिवेदन प्राप्त है। जिसमें प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त वाद्गत भूमि सर्वे खतियान के आधार पर रैयत एवं वर्तमान जमाबंदी के अनुसार रैयत का नाम नान्दु उरॉव पिता गंदुरा उरॉव कौम उरॉव सा0 देह दर्ज है।
विवादित भूमि विवरणी खाता सं0 719 प्लॉट सं0 1601 रकबा 1.24 एकड़ में से 0.15 एकड़ भूमि लगान देने वाले रैयत का नाम सुशील उरॉव पिता एतवा उरॉव ग्राम पालकोट। विवादित भूमि पर विवादित भूमि पर दखलकार का नाम एवं पता अनील भगत पिता जगदेव भगत पालकोट। विवादित भूमि पर निर्माण कार्य हुआ है।

सर्वे खतियान के अनुसार वंशावलीः–

नान्दु उरॉव

सर्वे खतियान के अनुसार वंशावलीः—

- नान्दु उराँव
  - घांसी उराँव
    - घोंयों
    - तुलसी
    - बिरसा
  - डुका उराँव
    - एतवा
      - सुशील (आवेदक)
      - मिसिल
      - अंजित
      - दरजित
    - बिरजु
  - बिरसा उराँव

अंचल निरीक्ष के जॉच एवं मंतव्य में कहा गया है के हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अंचल अमीन द्वारा प्रस्तुत जॉच प्रतिवेदन के आलोक में प्रतिवेदित किया जाता है कि उक्त प्रसंगाधीन जमीन पर आवेदक का बिकी जमीन के अलावे अधिक जमीन पर विपक्ष का अवैध कब्जा है जो विवादग्रस्त है। अतः दोनो पक्ष पर राजस्व संबंधित युक्तियुक्त सुनवाई अवसर प्रदान कर न्यायिक सक्रियता में पक्ष हेतु अग्रेतर कार्रवाई के लिए प्रेषित किया जा सकता है।

उक्त वाद में उभय पक्षो द्वारा दाखिल लिखित जवाब, दस्तावेज अंचल अधिकारी, पालकोट का जॉच प्रतिवेदन, बहस को सुनने के उरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि उक्त वादग्त भूमि मौजा पालकोट के थाना सं0 63 खाता सं0 719 प्लॉट सं0 1601 रकबा 1.24 एकड़ भूमि में से 0.15 एकड़ भूमि से संबंधित है। यह भूमि आवेदक सुशील मिंज की खतियानी सम्मिलात भूमि है। उक्त भूमि पर द्वितीय पक्ष द्वारा आवेदक से खरीदगी गई जमीन जमीन 0.5(पॉच)एकड़ भूमि के अलावे 0.15 (पंद्रह) एकड़ पर अवैध दखल किया गया हैं।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर आवेदक द्वारा भू:वापसी हेतु दायर आवेदन को स्वीकृत किया जाता है। अंचल अधिकारी, पालकोट को निर्देश दिया जाता हैं कि वे वाद्गत भूमि पर ~~आवेदित को~~ आवेदक को दखल दिलाना सुनिश्चित करेंगे साथ ही अनुपालन प्रतिवेदन से न्यायालय को भी संसूचित करना सुनिश्चित करेंगे।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
बसिया (गुमला)।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
बसिया, (गुमला)

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
बसिया (गुमला)।

Digitally signed by SHEKHAR KUMAR
Date: 2024.07.15 12:37:27 +05:30
Location: 192.168.1.10